

यौन उत्पीड़न पर शिकायत दर्ज करना एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील प्रक्रिया है। यौन उत्पीड़न पर महिलाओं के लिए आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) से संपर्क करने के लिए एम्स, बिलासपुर की महिला कर्मचारियों के लिए दिशानिर्देश यहां दिए गए हैं:

## यौन उत्पीड़न पर शिकायत दर्ज करने के लिए दिशानिर्देश

परिचय:

यौन उत्पीड़न पर महिलाओं के लिए आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) महिला कर्मचारियों को यौन उत्पीड़न की घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए एक सुरक्षित और गोपनीय मंच प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। यदि आपने कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के यौन उत्पीड़न का अनुभव किया है या देखा है, तो आपको शिकायत दर्ज करने के लिए इन दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

### 1. यौन उत्पीड़न को समझना:

शिकायत दर्ज करने से पहले, यह समझना आवश्यक है कि यौन उत्पीड़न क्या होता है। यौन उत्पीड़न में अवांछित व्यवहार, आगे बढ़ना, यौन अनुग्रह के लिए अनुरोध, या यौन प्रकृति का कोई अन्य मौखिक या शारीरिक आचरण शामिल है।

### 2. ICCW की पहचान:

ICCW एक नामित समिति है जो यौन उत्पीड़न की शिकायतों को संबोधित करने के लिए जिम्मेदार है।

अपने संगठन में ICCW सदस्यों की पहचान करें। उनका विवरण एम्स, बिलासपुर की वेबसाइट, संस्थान के प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध है।

### 3. गोपनीयता:

निश्चित रहें कि आपकी शिकायत पर अत्यंत गोपनीयता बरती जाएगी।

शिकायत और जांच प्रक्रिया का विवरण केवल सीधे तौर पर शामिल लोगों के साथ साझा किया जाएगा।

### 4. तत्काल कार्रवाई:

यदि आप असुरक्षित या खतरा महसूस करते हैं, तो तुरंत कार्रवाई करने पर विचार करें जैसे कि सुरक्षित स्थान पर जाना या किसी सहकर्मी से सहायता मांगना।

### 5. घटना का दस्तावेजीकरण करें:

तारीख, समय, स्थान, शामिल लोगों और किसी भी गवाह सहित घटना(घटनाओं) का विवरण रिकॉर्ड करें।

घटना से संबंधित किसी भी सबूत, जैसे संदेश, ईमेल या फोटो को सुरक्षित रखें।

#### 6. अनौपचारिक संकल्प (वैकल्पिक):

यदि आप सहज महसूस करते हैं, तो आप कथित उत्पीड़क को अपनी परेशानी स्पष्ट रूप से बताकर अनौपचारिक समाधान का प्रयास कर सकते हैं। हालाँकि, यह कदम वैकल्पिक है, और आप इसे आगे बढ़ाने के लिए बाध्य नहीं हैं।

#### 7. ICCW से संपर्क करना:

ICCW को संबोधित एक लिखित शिकायत का मसौदा तैयार करें। जितना संभव हो उतना विवरण प्रदान करते हुए, घटनाओं को स्पष्ट रूप से रेखांकित करें।

शिकायत को नामित ICCW सदस्य को या उचित माध्यम से सबमिट करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह समिति तक तुरंत पहुँच जाए।

#### 8. सहायता प्रणाली:

भावनात्मक समर्थन के लिए शिकायत दर्ज करने के अपने निर्णय के बारे में किसी विश्वसनीय सहकर्मी, मित्र या परिवार के सदस्य को सूचित करें।

#### 9. ICCW जांच:

ICCW शिकायत की गहन और निष्पक्ष जांच करेगा।

आपकी शिकायत के संबंध में विस्तृत चर्चा के लिए आपको बुलाया जा सकता है।

#### 10. प्रतिशोध के विरुद्ध सुरक्षा:

संगठन शिकायत दर्ज करने पर व्यक्तियों को प्रतिशोध से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

यदि आप किसी भी प्रकार के प्रतिशोध का अनुभव करते हैं, तो तुरंत ICCW को इसकी रिपोर्ट करें।

#### 11. फीडबैक तंत्र:

ICCW जांच की प्रगति पर समय-समय पर अपडेट प्रदान करेगा।

जांच के बाद, आपको परिणाम और की गई किसी भी कार्रवाई पर प्रतिक्रिया प्राप्त होगी।

यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत दर्ज करना सुरक्षित और सम्मानजनक कार्यस्थल बनाए रखने की दिशा में एक साहसी और महत्वपूर्ण कदम है। ICCW आपकी शिकायत का निष्पक्ष और उचित समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यदि आपके कोई प्रश्न या चिंताएं हैं, तो मार्गदर्शन के लिए आईसीसीडब्ल्यू या अपने मानव संसाधन विभाग से संपर्क करने में संकोच न करें। याद रखें, आपकी भलाई और सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है।